न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 158/2011
प्रविष्टि दिनांक 24—5—2011

सीताराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाट निवासी ग्राम पोस्ट डारडा तहसील व जिला टोंक राज0

.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12
(अतिरिक्त जि़ला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,
प्रीती भगवत निवास मालवीय नगर चन्द्रलोक होटल के पीछे टोंक
3—तहसीलदार टोंक
4— बैंक ऑफ बडौदा टोंक शाखा

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 7.12.2020

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 274 में रकबा 4300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बारानी—1 भूमि का निर्धारण किया गया है,जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 274 राजस्व क्षेत्र नहरी सिंचित क्षेत्र होने से प्रार्थी को सिंचित दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1057/09 दिनांक 12.07.2010 तलब की गई। हमने बहस अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं लिखित बहस प्रस्तुत कि जिसमें अंकित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 274 मे 4300 वर्गमीटर वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद मे अवाप्त की ,गई है। अवाप्त भूमि का अधि[illegible] धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 [illegible] नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम [illegible] में निहित हो गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12
(जिला कलेक्टर) टोंक

Scanned by CamScanner

प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये किस्म मालदोयम (बारानी–1) भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीग व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी।बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस/जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1057/2009 दिनांक 12.07.2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 274 अवाप्त रकबा 4300 वर्गमीटर किस्म बारानी–1 का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 274 रकबा 4300 वर्गमीटर भूमि वाके ग्राम उस्मानपुरा का नहरी सिंचित दर से मुआवजा चाहा गया है जबकि ख0नं0 274 मे 4300 वर्गमीटर भूमि ही अवाप्त की गई है। प्रार्थी को इस संबंध मे अगर कोई आपत्ति थी तो तत्समय ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चाराजोही करने चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा नहरी सिंचित दर से मुआवजा चाहा गया है परन्तु इसकी पुष्टि मे कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है जमाबन्दी संवत 2065–68 में माल–2 अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 7.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner